कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।
मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102
E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-815

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-23/04/26

विषयः- बिना प्रस्वीकृति के संचालित निजी विद्यालयों की जाँच कर अविलंब बंद करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने के संबंध में।

प्रसंगः- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार का पत्रांक-794, दिनांक 23.09.2024, अधोहस्ताक्षरी कार्यालय आदेश ज्ञापांक 930 दिनांक 31.03.2024 एवं ज्ञापांक 2961 दिनांक 25.10.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में ही यह निर्देशित किया जा चुका है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 की धारा 18 के तहत सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार द्वारा यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी निजी विद्यालय अवैध रूप से संचालित हैं, जिनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 930 दिनांक 31.03.2024 एवं ज्ञापांक 2961 दिनांक 25.10.2024 के तहत जिले में संचालित सभी बिना प्रस्वीकृति के निजी विद्यालयों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद कतिपय प्रखंडों में ऐसे विद्यालयों के संचालन की सूचना प्राप्त हो रही है, जो विभागीय आदेशों की गंभीर अवहेलना है।

अतः आप सभी को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने संबंधित प्रखंडों में संचालित सभी निजी विद्यालयों की गहन जाँच करें और निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करें-

1. विद्यालय बंदी- जाँच के क्रम में यदि कोई भी विद्यालय बिना प्रस्वीकृति/संबद्धता के संचालित पाया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश निर्गत करें ।

2. जुर्माने का आकलन- RTE Act, 2009 की धारा 18(5) एवं 19(5) के आलोक में, प्रस्वीकृति के बिना विद्यालय संचालन हेतु दोषी संस्था/व्यक्ति पर ₹1,00,000- (एक

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.23 17:59:05 +05'30'

लाख रुपये) का एकमुश्त जुर्माना लगाएं। प्रतिबंध की तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने की स्थिति में ₹10,000- (दस हजार रुपये) प्रतिदिन की दर से जुर्माना राशि का आकलन करते हुए वसूली हेतु पत्र निर्गत करें।

3. अनुपालन प्रतिवेदन- की गई कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन (विद्यालय का नाम, संचालन की तिथि और कुल अधिरोपित जुर्माना राशि सहित) एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। किसी भी स्तर पर शिथिलता पाए जाने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.23 17:59:18 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-815 हाजीपुर दिनांकः-23/04/26

प्रतिलिपिः-सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.23 17:59:30 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

पत्रांक–08 / RTE15–02 / 2021...........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०,
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किए संचालित निजी विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या 771 दिनांक 19.06.2013, विभागीय पत्रांक 762 दिनांक 14.08.2023 एवं पत्रांक 579 दिनांक 20.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी है एवं तदालोक में अधिसूचित बिहार राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रावधान है। बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (RTE ACT, 2009) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं कर सकेगा, अथवा संचालित नहीं करेगा। साथ ही इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति / संस्था को 1 लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है, अथवा निर्धारित तिथि के बाद भी विद्यालय संचालित रहने पर प्रत्येक दिन के लिए रू० 10,000 जुर्माना किया जा सकता है। इससे संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 771 दिनांक 19.06.2013 निर्गत है।

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 11 अन्तर्गत प्रस्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया एवं नियम 12 के तहत प्रस्वीकृति के प्रत्याहरण (वापसी) की प्रक्रिया भी निर्धारित है। इस नियमावली की कंडिका 11 एवं 12 के तहत प्रत्येक गतिविधि की समय–सीमा भी निर्धारित की गई है।

उक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि निजी विद्यालय के संघटनों / संघो के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक कर अपने–अपने जिले में संचालित सभी निजी विद्यालयों की प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु दिनांक 10.08.2024 तक e-SAMBANDHAN पोर्टल पर आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

इस आशय का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया एवं प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन किये जाने की तिथि विस्तारित कर 17.08.2024 निर्धारित की गयी।

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि उक्त प्रावधान एवं दिए गए निदेश के आलोक में 49702 निजी विद्यालयो द्वारा प्रस्वीकृति हेतु प्रारंभिक आवेदन समर्पित किया गया, परन्तु उक्त के विरूद्ध मात्र 11,995 निजी विद्यालयों द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त की गई है। शेष निजी विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि 11,995 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में से मात्र 5,562 निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल पर सीट अपलोड किया। स्पष्टतः 11,995 विद्यालयों को छोड़कर शेष विद्यालय बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किए संचालित है, जिनके विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित है। साथ ही वैसे निजी विद्यालय जो प्रस्वीकृति प्राप्त किये हैं, परन्तु सीट अपलोड नहीं किये हैं, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई अपेक्षित है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से समीक्षा कर प्रस्वीकृति प्राप्त किए बिना संचालित निजी विद्यालयों के विरूद्ध RTE Act, 2009 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के सुसंगत नियमों के तहत कार्रवाई हेतु उन्हे आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई का अनुश्रवण करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(पंकज कुमार)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक :– 08/RTE15–02/2021 794 दिनांक 23/9/2024

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/9/2024

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

[redacted]

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

बीरेन्द्र नारायण, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0—8544412079
हाजीपुर, वैशाली—844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

कार्यालय—आदेश

कार्यालय पत्रांक 3110 दिनांक 26.12.2023 एवं पत्रांक 248 दिनांक 27.01.2024 के माध्यम से पूर्व में ई—संबर्द्धन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु दिशा निदेश दिया जा चुका था। परन्तु अद्यावधि तक कई विद्यालय बिना संबद्धता प्राप्त किए संचालित किये जा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी कि वैसे निजी विद्यालय जिन्होंने संबद्धता प्राप्त नहीं किया है उनका संचालन दिनांक 31.12.2023 के बाद नहीं होगा।

विदित हो कि बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (RTE ACT, 2009) की धारा 18 में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय जो निर्धारित मानक धारित करता हो, सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण—पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जा सकता है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना पत्रांक 857 दिनांक 08.10.2024 के द्वारा वैसे सभी निजी विद्यालय जिन्होंने संबद्धता प्राप्त नहीं किया है उनके विरुद्ध RTE ACT, 2009 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।

अतः वैसे सभी निजी विद्यालय जो बिना संबद्धता प्राप्त किए हुए संचालित किया जा रहा है, उनके संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसके बावजूद भी यदि विद्यालय संचालन करते हुए पाए जाते है तो जाँचोंपरांत उन्हे नोटिस निर्गत करते हुए उनके विरुद्ध RTE ACT, 2009 की धारा 18 (5) एवं 19 (5) के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति/संस्था को 1 लाख रूपये का जुर्माना एवं पत्र निर्गत तिथि से प्रत्येक दिन के लिए रू० 10,000 जुर्माना किया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांक 2961/RTE/ हाजीपुर, दिनांक 25/10/24

प्रतिलिपि :—सभी संबंधित संबद्धता अप्राप्त निजी विद्यालय, जिला—वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :—निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग,पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

25.10.24

25/10/24

बिहार शिक्षा परियोजना, वैशाली
(शिक्षा भवन), दिग्घी कला, हाजीपुर
पिन नं0—844102

Bihar Education Project, Vaishali
(Shiksha Bhawan), Dighi Kala, Hajipur
Pin no- 844102

कार्यालय–आदेश

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 3110 दिनांक 26.2.2023, पत्रांक 248 दिनांक 27.01.2024 एवं पत्रांक 618 दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से पूर्व में ई–संर्वद्धन पोर्टल पर पंजीकरण करने हेतु सभी संबद्धता अप्राप्त निजी विद्यालय को निदेश दिया जा चुका था। परन्तु अद्यावधि तक अधिकांश निजी विद्यालय बिना संबद्धता प्राप्त किए संचालित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिनियम 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के आलोक में निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा (शिक्षा विभाग), बिहार पटना द्वारा अधिसूचना जारी की गयी थी कि वैसे निजी विद्यालय जिन्होंने संबद्धता प्राप्त नहीं किया है। वैसे निजी विद्यालयों का संचालन दिनांक 31.12.2023 के बाद नहीं होगा। साथ ही उक्त अवधि के बाद विद्यालय संचालन करना विधि सम्मत नहीं है एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है।

उक्त आदेश के अनुपालन में वैशाली जिलान्तर्गत वैसे सभी निजी विद्यालय जो बिना संबद्धता प्राप्त किए संचालित किए जा रहे है। वैसे सभी निजी विद्यालय के संचालन को शैक्षणिक वर्ष 2024–25 से प्रतिबंधित किया जाता है। उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम की धारा 19 (05) के तहत प्रथम अपराध के लिए 100000/–रु0 साथ ही प्रत्येक दिन 10,000/–रु0 की दर से दण्ड राशि लगायी जाएगी।

31·03·24

(कुमार शशि रंजन)
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, वैशाली

ज्ञापांक 930 /हाजीपुर, दिनांक 31/3/24
प्रतिलिपिः सभी प्राचार्य/अध्यक्ष/सचिव, निजी विद्यालय जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

31·03·24

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, वैशाली

31/3/24